संख्या : 18,050 / सात लाई–वी–369 / व्यव0 / 2020–21 / सा0निर्देश / विज्ञप्ति

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून, दिनांक 29, फरवरी, 2020

विषयः– **वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) की अवधि हेतु सी0एल0–5सी (देशी शराब), एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा) एवं एफ0एल0–5बी (बियर) की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2020 जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 135 / XXIII/2020 / 04(01) / 2020: देहरादूनःदिनांकः 22, फरवरी, 2020 के अनुसार राज्य में मदिरा की फुटकर दुकानों (सी0एल0– 5सी (देशी शराब), एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा) एवं एफ0एल0–5बी (बियर)) का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020–31.03.2021 तक) हेतु लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। व्यवस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार सामान्य निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2020 जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 135 / XXIII/2020 / 04(01) / 2020: देहरादूनःदिनांकः 22, फरवरी, 2020 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर नवीनीकरण के पश्चात अवशेष बची मदिरा की फुटकर दुकानों एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 बन्द हुई मदिरा दुकानों व नवसृजित मदिरा दुकानों का राजस्व निर्धारित किया जाना है। उक्त निर्धारित राजस्व के आधार पर लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम गारण्टीड अभिकर की राशि का निर्धारण विहित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाये। राजस्व निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। जिला आबकारी अधिकारी प्रत्येक दुकान के अनुज्ञापन शुल्क, न्यूनतम गारण्टीड अभिकर का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
2. उपरोक्तानुसार जनपद की सी0एल0–5सी (देशी शराब), एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा) एवं एफ0एल0–5बी (बियर) की दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम गारन्टीड अभिकर (जो भी लागू हो) की सूची शासन की वेबसाईट–**www.uk.gov.in** एवं www.uttrakhandexcise.org.in जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय तथा कलैक्ट्रेट, तहसील एव उप–तहसील, विकासखण्ड तथा नगर पालिका कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लगायी जायेगी। मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा उपरोक्त के सम्बन्ध में दैनिक

Scanned by CamScanner

समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी प्रकाशित कराई जायेगी तथा ''आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020'' में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विहित प्रक्रिया से प्रथम चरण की लॉटरी प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

3. मदिरा दुकान के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजिका में पंजीकृत किया जायेगा। पंजिका के पंजीयन संख्या को आवेदन पत्र की रसीद में अंकित करके आवेदक को यह रसीद उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इन मूल रसीदों को पहचान पत्र मानकर आवेदक को लाटरी के लिये निर्धारित हाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्राप्त आवेदनों की कम्प्यूटर में भी प्रविष्टि की जायेगी।
4. जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की सूचना तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से वांछनीय कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो जिलाधिकारी द्वारा विवेक सम्मत निर्णय लेते हुए ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
5. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आवंटन समिति का गठन उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा एवं बियॅर की फुटकर दुकान व्यवस्थापन नियमावली के नियम– 9 तथा देशी शराब की नियमावली के नियम–10 की निम्न व्यवस्था के अनुसार किया जायेगाः–

District level committee for licensing

There shall be a district level committee for selection of licensees for retail sale of Foreign Liquor & Beer/Country Liquor. The committee shall consist of the following member, namely:-

1. The Collector of the District	**Chairman**
2. One Gazetted Officer nominated by the Excise Commissioner	**Member**
3. The District Excise Officer of the District	**Member/Secretary**

इस कमेटी में जिला आबकारी अधिकारी एवं एक अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो जनपद में नियुक्त किसी डिप्टी क्लेक्टर से अनिम्न अधिकारी के नाम का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित आबकारी आयुक्त को ई–मेल आई0डी0 **utk.hqexcise.lic@gmail.com** प्रेषित करेंगे, ताकि नियमानुसार आबकारी आयुक्त द्वारा द्वितीय सदस्य की नियुक्ति की जा सके। उपरोक्तानुसार गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का समुचित परीक्षण एवं दुकानों के नियमानुसार व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी होगी।

6. व्यवस्थापन के समय जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे व व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के अन्य सभी सदस्य भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
7. समिति के गठन की सूचना को व्यवस्थापन स्थल के अतिरिक्त जनपद के सभी जिला व तहसील कार्यालयों पर लगे सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

8. व्यवस्थापन के समय प्रेस के प्रतिनिधियों को भी आंमत्रित किया जायेगा तथा व्यवस्थापन स्थल पर उनके बैठनें हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।
9. यदि किसी दुकान के लिये निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो दुकान के आवंटन के लिये सार्वजनिक लाटरी से अनुज्ञापी का चयन किया जायेगा।
10. लाटरी के लिये जिला मुख्यालय पर किसी बडे हाल की व्यवस्था की जाय। लाटरी हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूचियां,सम्बन्धित दुकान को आवंटित क्रमांक, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या व आवेदकों के नाम आदि की जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माईक पर उद्घोषित भी किया जाय। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार में कुछ ऊचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाय कि सभी उपस्थित व्यक्ति लाटरी की कार्यवाही को भलीभांति देख सकें, जिससे लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। सम्पूर्ण लाटरी प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी करायी जाये एवं लाटरी स्थल पर प्रोजेक्टर की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें लाटरी की प्रक्रिया को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जायेगा।
11. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2020 के नियम–3.4 के अनुसार एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम दो मदिरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकती है। अतः लॉटरी हेतु पात्र आवेदकों का इस आधार पर निर्धारण लाटरी से पूर्व कर लिया जाय अर्थात् किसी आवेदक/सह आवेदक को वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आवंटित दुकानों को जोड़ते हुए अधिकतम मात्र दो ही मदिरा की दुकानें आवंटित हो सकती है। दो मदिरा दुकान आवंटन के उपरान्त अगली लॉटरी में आवेदक/सह आवेदक का नाम सम्मिलित नहीं होगा।
12. लॉटरी द्वारा किसी मदिरा दुकान का आवंटन होते ही पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रविष्टी विभागीय वैब साईट **www.uttrakhandexcise.org.in** पर की जाये, जिससे किसी भी आवेदक/सह आवेदक को अधिकतम दो मदिरा की दुकानें ही आवंटित हो सकें।
13. जिन देशी/विदेशी मदिरा/बियर की दुकानों पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है, उनका आवंटन लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व कर दिया जायेगा। दुकान की लाटरी पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगी। सबसे पहले अधिकतम वार्षिक राजस्व वाली दुकान के लिये लाटरी निकाली जायेगी और उसके बाद राजस्व के अवरोही क्रम (Descending Order) में यह प्रक्रिया जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी सम्पन्न होने के बाद देशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी आरम्भ की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकानों से आरम्भ कर अवरोही क्रम में दुकानों की लाटरी निकाली जायेगी। विदेशी मदिरा, देशी मदिरा दुकानों की लाटरी प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद बियर की दुकानों का आवंटन लाटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

14. लाटरी निकाले जाने के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा **6 से0 मी0 × 6 से0 मी0** की एक ही तरह की कागज की पर्चियां कम्पयूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी, जिनका प्रारूप निम्नानुसार होगाः–

मदिरा दुकान का नाम ....
मदिरा दुकान का प्रकार...
आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या...............................
आवेदक का नाम..
जि0आ0अधि0 ना0 अधि0 जिलाधिकारी

15. पर्ची पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन करके प्रिन्ट किये जा सकते हैं, किन्तु अन्य अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रत्येक पर्ची पर हस्ताक्षर करेंगे।
16. जिलाधिकारी किसी एक दुकान के लिये सभी आवेदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग–अलग मोड़ कर किसी पारदर्शी पात्र में भली–भांति मिलाकर एक पर्ची पंडाल में उपस्थित व्यक्तियों में से रैन्डम आधार पर किसी एक व्यक्ति से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखायी जाएगी और पर्ची पर आवेदक के नाम की उद्घोषणा भी पर्ची निकालने वाले व्यक्ति से ही माइक पर करायी जायेगी। लाटरी निकल जाने के बाद पर्ची के पीछे दुकानों के व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की गोल मोहर लगायी जायेगी। लाटरी के पूरा हो जाने के उपरान्त सभी पर्चियां, जिन पर दुकानें व्यवस्थापित की गयी होंगी, एक लिफाफे में बन्द करके सील कर दी जायेगी, जिसके ऊपर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
17. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को देय राजस्व उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2020 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार समयान्तर्गत् जमा करना होगा। प्राप्त राजस्व (बैंक ड्राफ्ट/नकद के रूप में) को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि चयनित आवदेक नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं करता/निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं करता अथवा दुकान के लिये उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त समझा जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा लाईसेंसिंग प्राधिकारी, आवंटित अनुज्ञापी के जोखिम पर निरस्त कर दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार करेंगे।
19. दुकान व्यवस्थापन की समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करा ली जाय ताकि दुकानों का संचालन दिनांकः 01.04.2020 से प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सके। दुकानवार व्यवस्थापन के दौरान पारदर्शिता की दृष्टि से दुकान विशेष के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण, अनुज्ञापन स्वीकृति तथा लाटरी की दशा में

Scanned by CamScanner

आवेदकों के नाम/संख्या जिनके मध्य लाटरी की जा रही है, यदि सूचनाएँ मौके पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र के माध्यम से उद्घोषित की जायें और प्रत्येक अगली दुकान के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूर्ण करने से पूर्व पिछली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान कर दिया जाये।

20. आवेदक को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित कोई भी तथ्य अथवा सूचना असत्य पाये जाने पर उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है व धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त की जा सकती है।

21. अपने जनपद के बकायादारों की सूची बना ली जाये। अन्य जनपदों से प्राप्त आबकारी राजस्व के बकायेदारों की सूची अलग से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी बकायेदार को अनुज्ञापन न दिया जाय।

22. दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त व्यवस्थापित तथा अव्यवस्थापित दुकानों का विवरण प्रत्येक चरण की समाप्ति के पश्चात निर्धारित प्रारूप में आबकारी मुख्यालय भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय तथा व्यवस्थापन की प्रकिया में विवर्जित **(Black List)** किये गये व्यक्तियों का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

23. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार मदिरा दुकानों के सफल आवंटी को दुकान आवंटन होने के निर्धारित अवधि के भीतर समस्त औपचारिकताएँ आवश्यक रूप से प्रस्तुत/पूर्ण करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में सम्बन्धित आवंटी के जोखिम पर दुकान निरस्त कर दी जायेगी।

24. लॉटरी के प्रथम चरण के समाप्ति के पश्चात अवशेष बची मदिरा की फुटकर दुकानों को द्वितीय चरण हेतु "आबकारी नीति विषयक नियमावली-2020" के नियम-3.11 के अनुरूप कार्यवाही करते हुये फुटकर मदिरा दुकानों के राजस्व आदि का निर्धारण कर आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति के पश्चात मदिरा दुकानों की पूर्ण सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर लॉटरी हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेगे तथा विहित प्रकिया एवं "आबकारी नीति विषयक नियमावली-2020" में दिये गये नियमों के अनुरूप द्वितीय चरण की लॉटरी सम्पन्न कराई जायेगी।

25. आवेदन पत्र के साथ संलग्न धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को जनपद में लाटरी समाप्त होने के उपरान्त असफल आवेदकों को वापस किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगीः-

आवेदन कर्ता स्वंय कार्यालय में उपस्थित होकर मूल प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकतें है।

अथवा

आवेदक के किन्हीं कारणों से उपस्थित न होने की दशा में उनके द्वारा विधिवत् निर्गत प्राधिकार पत्र के साथ मूल रसीद प्रस्तुत करने पर नामित व्यक्ति धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकेंगे। प्राधिकार पत्र पर आवेदक एवं

Scanned by CamScanner

उसके प्रतिनिधि का पासपोर्ट साईज में रंगीन फोटो चस्पा करके उसके द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।

26. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, गांधी रोड़, तहसील चौक, देहरादून से यथावश्यक निर्देश/सूचनायें/जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। सम्पर्क अधिकारी श्री ए०आर० सेमवाल, अपर आबकारी आयुक्त दूरभाष संख्याः 7579098405 एवं श्री बी०एस० चौहान, संयुक्त आबकारी आयुक्त दूरभाष संख्याः 7579098300।

अतः अनुरोध है कि शासन की आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2020 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) को सफल बनाने हेतु अपने नेतृत्व में सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5 डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) एवं एफ0एल0–5बी (बीयर) की दुकानों का व्यवस्थापन सफलतापूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

(सुशील कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या : ——/सात लाई–वी–369/व्यव0/2020–21/सा0निर्देश/विज्ञप्ति देहरादून, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. सहायक आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट www.uttarakhandexcise.org.in पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(सुशील कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner

मदिरा दुकान हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

पंजीयन संख्या (कार्यालय द्वारा भरी जायेगी)

दुकान का प्रकार	दुकान का नाम

आबकारी वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021)तक

देशी मदिरा की (भू–गृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिये) फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन देशी शराब–5ग हेतु आवेदन पत्र/विदेशी मदिरा व बियर की फुटकर बिक्री (भू–गृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिये) के अनुज्ञापन विदेशी मदिरा 5–घ हेतु आवेदन पत्र/बियर की फुटकर बिक्री (भू–गृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिये) के अनुज्ञापन एफ0एल0–5बी हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदित दुकान का विवरण

(i) दुकान का नाम...जनपद ....

(ii) दुकान का प्रकार ....

(iii) (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये
(अंको में) ....(शब्दों में) ....

(iv) (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) के लिये मदिरा का निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि रूपये (अंको में) ....
(शब्दों में) ....

(v) (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) के लिये कुल राजस्व (iii+iv)
(अंको में) ....(शब्दों में) ....

(vi) धरोहर धनराशि रू0 (अंको में) ....(शब्दों में) ....

(vii) प्रतिभूति धनराशि रू0 (अंको में) ....(शब्दों में) ....

2. आवेदक का नाम ....

3. पिता/पति का नाम ....

4. आयु ....

5. लिंग–पुरूष/महिला ....

6. पैन नम्बर..

7. आधार कार्ड नम्बर ....

8. स्थाई पता..

आवेदक का नवीनतम् स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

मकान नम्बर..
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..
थाना/पटवारी पट्टी..
तहसील/उप तहसील..
जिला..उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)..
मोबाईल नम्बर ....

क्रमश 2

Scanned by CamScanner

9. **जमा धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट का विवरण** (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 22.02.2020 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे) :–

(1) **जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट का विवरण :–**

(अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक ....

(ब) बैंक का नाम ....

(स) बैंक ड्राफ्ट की राशि ....

(2) **आवेदन शुल्क की राशि के ड्राफ्ट का विवरण :–**

(अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक ....

(ब) बैंक का नाम ....

(स) बैंक ड्राफ्ट की राशि ....

(3) **आवेदन पत्र के साथ संलग्न पहचान से सम्बन्धित अभिलेखों का विवरण :–**

1..................................2..................................3.........................4..................................

<u>आवेदक की घोषणा</u>

मैं...पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दुओं में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि दुकान आंवटन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान................................

दिनांक.............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)
आवेदक की प्रास्थिति

क्रमश...........3

Scanned by CamScanner

सह आवेदक का नवीनतम् स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

(ख) सह आवेदक होने की दशा में निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें :–

1. सह आवेदक का नाम..
2. पिता/पति का नाम..
3. आयु ....
4. जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष............/............/............
5. लिंगःपुरूष/महिला..............................
6. स्थाई पता..

मकान नम्बर..
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..
थाना/पटवारी पट्टी..
तहसील/उप तहसील..
जिला..उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)..
मोबाईल नम्बर ....

7. पैन नम्बर..
8. आधार कार्ड नम्बर ....

<u>सह–आवेदक की घोषणा</u>

मैं..पुत्र/पत्नी/पुत्री..घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दुओं में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि दुकान आंवटन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान..............................

दिनांक..............................

सह आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)
आवेदक की प्रास्थिति

नोट–

1. अहस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. जो लागू न हों, उसे काट दें।

Scanned by CamScanner

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री / श्रीमती / कुमारी...पुत्र / पत्नी / पुत्री.............................. निवासी...सी0एल0–5सी (देशी शराब), / एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) एवं एफ0एल0–5बी (बियर) की फुटकर दुकान ....हेतु प्रार्थना पत्र उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2020 में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किया गया। जिसे **रजिस्टर के कमांक** .... **पर दर्ज** किया गया।

दिनांक..................................

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय.............................

Scanned by CamScanner

वित्तीय वर्ष 2020–21 (01–04–2020 से 31–03–2021 तक) अवधि के लिए सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा व बियर) एवं एफ0एल0–5बी (बियर) के फुटकर लाईसेंस हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ

मै...पुत्र/पुत्री/पत्नी/ .... आयु.....................वर्ष..............................

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर......................................नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..

थाना/पटवारी पट्टी............................तहसील/उपतहसील................................जिला...........................

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर......................................नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..

थाना/पटवारी पट्टी............................तहसील/उपतहसील................................जिला...........................

शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ किः–

1. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण ने सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा व बियर) एवं एफ0एल0–5बी (बियर) की फुटकर बिक्री की दुकान.................. ....थाना..........तहसील..............................जिला...........................के लाईसेंस वर्ष 2020–21 हेतु आवेदन पत्र दिया है।
2. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण ने लाईसेंस की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह नियमों, लाईसेंस की शर्तों और लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी/करेंगे।
3. **यह कि** शपथकर्ता/शपथकर्तागण **भारत का नागरिक है एवं उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है/हैं।**
4. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण की आयु 21 वर्ष से अधिक है/हैं।
5. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकायेदार है, न ही उसका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाईसेंस धारण करने से विवर्जित किया गया है।

Scanned by CamScanner

6. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसे/उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नही पाया गया है।

7. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण के पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड़ साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।

8. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण मदिरा दुकान आवंटन होने की दशा में अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतियों की धनराशि नियमानुसार समयान्तर्गत जमा करेगा/करेंगे।

9. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को यदि देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता/शपथकर्तागण आवंटन के 30 दिवस के भीतर चरित्र प्रमाण पत्र तथा 07 दिवस के भीतर वांछित हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कर देगा/देंगे।

10. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को यदि देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता/शपथकर्तागण आवंटन के 30 दिवस के भीतर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण करा लेगा/लेंगे।

11. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को सेवायोजित नहीं करेगा/करेंगे।

12. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण दुकान आवंटन के बाद पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा/करेंगे।

13. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण अनुज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा/करेंगे।

14. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को दुकान आवंटन होने पर दुकान में बार कोड रीडर मशीन एवं स्वैप मशीन लगायेगा/ लगायेंगे।

Scanned by CamScanner

15. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को आयकर विभाग द्वारा पैन संख्या..........................एवं पैन संख्या..................................आवंटित की गयी है/किया गया है।

यह कि प्रस्तर–1 से 15 तक की विषय वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान....................................

दिनांक.................................समय.................................

शपथकर्ता

पब्लिक नोटरी का नाम और मोहर

स्थान.................................दिनांक...............................

सहआवेदक की शपथ

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ

मै..पुत्र/पुत्री/पत्नी/.......................... आयु.....................वर्ष.............................

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर....................................नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक...

थाना/पटवारी पट्टी..........................तहसील/उपतहसील................................जिला............................

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर....................................नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक...

थाना/पटवारी पट्टी..........................तहसील/उपतहसील................................जिला............................

शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु संख्या–01 से 15 तक के विषय वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

सहआवेदक के हस्ताक्षर......................... स्थान...................................

दिनांक.................................समय.................................

शपथकर्ता

पब्लिक नोटरी का नाम और मोहर

स्थान.................................दिनांक...............................

Scanned by CamScanner